राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2024/ 1813 दिनांक :- 13/12/2024

ले आउट प्लान समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

साईट प्लान/ ले आउट प्लान स्वीकृत करने बाबत सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 06.12.2024 को सचिव महोदय के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री अशोक कुमार असीजा, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
2. श्री सुरेन्द्र पुनियां, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. श्री दीपक जांगिड़, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

बैठक में न्यास स्तर पर विचाराधीन साईट प्लान / ले आउट प्लान के प्रकरणों का विवरण व निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या :- 01

क्र.स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	श्री सोहनलाल पुत्र श्री ढालाराम
2	भूमि का विवरण	चक 4 ई छोटी मुरब्बा नं. 03 के किला नं. 1 में 0.1010 है. किला नं. 2 में 0.1640 है., किला नं. 9 व 10 प्रत्येक में 0.253 है. यथाकुल 0.771 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	सड़क के समानान्तर मिश्रित एवं शेष आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित
4	मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई	आवेदित भूमि मास्टर प्लान की विद्यमान श्रेणी की 100 फीट चौडी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त हैं। उक्त सड़क व आवेदित भूमि के मध्य उत्तर दिशा में ई-माईनर स्थित हैं, जिसके संबंध में माईनर पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण की स्वीकृति बाबत आवेदक द्वारा अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर में आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार माईनर के मध्य से दांयी ओर 60 फीट व बांयी ओर 45 फीट भूमि माईनर क्षेत्राधिकार की दर्ज हैं।
5	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	ऑनलाईन आवेदन संख्या LU2012/SGN/2024-25/101137 दिनांक 18.09.2024 द्वारा मिश्रित (आवासीय + वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु आवेदित भूमि के दिनांक 04.10.2024 द्वारा 90-ए आदेश जारी है।
6	प्रयोजन	मिश्रित (आवासीय + वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु
7	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से स्वीकृति का विवरण	आवेदित भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय द्वारा राजकाज रैफ. 11797417 दिनांक 14.11.2024 द्वारा तकनीकी स्वीकृति बिन्दु संख्या 1 से 13 में वर्णित

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

एजेण्डा संख्या :- 09

विषय :- चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 3/2 में 0.0064 है., किला नं. 4/1 में 0.0130 है., किला नं. 4/6 में 0.1757 है., किला नं. 7/2, 14/1 व 17/2 प्रत्येक में 0.2500 है., किला नं. 8/2, 13/2 व 18/2 प्रत्येक में 0.0231 है., किला नं. 23/3 में 0.0211 है., किला नं. 24/5 में 0.2290 हैं. यथाकुल 1.2645 हैक्टेयर भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 तक के भूखण्डों एवं उनके मध्य गुजर रही 40 फीट सड़क को दक्षिण दिशा में दर्शित करते हुए भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 के क्षेत्रफल दो भूखण्डों में (प्रत्येक 145 फीट गुणा 138 फीट) सी-10 एवं सी-11 के रूप में संशोधन भूमि के स्वीकृत ले आउट प्लान में आंशिक संशोधन करने बाबत।

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	स्काई हाईट रियलमार्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अंजनी कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी मकान नं. 06, तिलक नगर, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण एवं प्रकरण के तथ्य	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 3/2 में 0.0064 है., किला नं. 4/1 में 0.0130 है., किला नं. 4/6 में 0.1757 है., किला नं. 7/2, 14/1 व 17/2 प्रत्येक में 0.2500 है., किला नं. 8/2, 13/2 व 18/2 प्रत्येक में 0.0231 है., किला नं. 23/3 में 0.0211 है., किला नं. 24/5 में 0.2290 है. यथाकुल 1.2645 हैक्टेयर
3	स्वीकृति का विवरण	न्यास स्तर पर ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक ~~21.11.2024~~ 31/07/2024 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 06 द्वारा स्वीकृत है।
4	प्रयोजन	ले आउट प्लान में आंशिक संशोधन
5	प्रस्तावित आंशिक संशोधन एवं प्रकरण के तथ्य	➢ विकासकर्ता द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान के स्वीकृतानुसार भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 तक के भूखण्डों एवं उनके मध्य गुजर रही 40 फीट सड़क को दक्षिण दिशा में दर्शित करते हुए भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 के क्षेत्रफल दो भूखण्डों में (प्रत्येक 145 फीट गुणा 138 फीट) सी-10 एवं सी-11 के रूप में संशोधन कर संशोधित पार्ट ले आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ➢ कनिष्ठ अभियन्ता मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड मौके पर निर्माणाधीन है। ➢ स्वीकृत ले आउट प्लान में संशोधन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 का नियमन नहीं किया गया है। ➢ प्रस्तावित आंशिक संशोधित ले आउट प्लान में केवल भूखण्डों के माप एवं अवस्थिति में परिवर्तन किया गया है, सुविधा क्षेत्र में एवं बेचान योग्य क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रकरण में प्राप्त तथ्यों अनुसार प्रस्तावित आवासीय ले आउट प्लान में बेचान योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होने के क्रम में एवं सुविधा क्षेत्र को यथावत रखा जाने के क्रम में एवं केवल स्वीकृत ले आउट प्लान में स्वीकृत भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 तक के भूखण्डों एवं उनके मध्य गुजर रही 40 फीट सड़क को दक्षिण दिशा में दर्शित करते हुए भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 के क्षेत्रफल दो भूखण्डों में (प्रत्येक 145 फीट गुणा 138 फीट) सी-10 एवं सी-11 के रूप में संशोधन प्रस्तावित किये जाने के क्रम में तकनीकी मापदण्ड यथा न्यूनतम क्षेत्रफल एवं पहुँच मार्ग की पूर्ति होने के क्रम में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत कर अनुमोदन किया जाता है। नियमानुसार संशोधित ले आउट प्लान के संबंध में शुल्क लेय होंगें। शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

संशोधित ले-आउट प्लान की एक प्रति वरिष्ठ नगर नियोजक, कार्यालय बीकानेर को सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जावें।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

//

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2456652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2024/ दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता स्काई हाईट रियलमार्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अंजनी कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी मकान नं. 06, तिलक नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 3/2 में 0.0064 है., किला नं. 4/1 में 0.0130 है., किला नं. 4/6 में 0.1757 है., किला नं. 7/2, 14/1 व 17/2 प्रत्येक में 0.2500 है., किला नं. 8/2, 13/2 व 18/2 प्रत्येक में 0.0231 है., किला नं. 23/3 में 0.0211 है., किला नं. 24/5 में 0.2290 है. यथाकुल 1.2645 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या LU2012/SGN/2024-25/101031 दिनांक 16.05.2024 द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदित भूमि के दिनांक 31.05.2024 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय द्वारा राजकाज रैफ. 8819774 दिनांक 10.07.2024 द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम में न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 31.07.2024 के कार्यवाही विवरण क्रमांक नियोजन/2024/736 दिनांक 31.07.2024 के एजेण्डा संख्या 06 द्वारा स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया है। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 तक के भूखण्डों एवं उनके मध्य गुजर रही 40 फीट सड़क को दक्षिण दिशा में दर्शित करते हुए भूखण्ड संख्या सी-10 से सी-16 एवं डी-09 से डी-15 के क्षेत्रफल दो भूखण्डों में (प्रत्येक 145 फीट गुणा 138 फीट) सी-10 एवं सी-11 के रूप में यथाकुल 4795.66 वर्गमीटर संशोधन कर न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 06.12.2024 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2024/1813 दिनांक 13.12.2024 के एजेण्डा संख्या 09 द्वारा संशोधित पार्ट ले आउट प्लान स्वीकृत/अनुमोदित है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय योजना का नाम "श्रीनाथ एन्क्लेव सेक्टर-11 बी" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (जारी मांग पत्र क्रमांक नियोजन/2024/918 दिनांक 05.09.2024 में अंकित राशि) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 12,64,500/- रूपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 2,52,900/- रूपये कम करते हुए शेष राशि 10,11,600/- रूपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 8,17,516/- रूपये एवं बीएसयूपी शैल्टर फण्ड राशि 2,08,550/- रूपये यथाकुल राशि 20,37,666/- रूपये जरिये रसीद संख्या 61/1716 दिनांक 23.09.2024 द्वारा न्यास कोष में जमा है। उक्त स्वीकृत ले आउट प्लान में संशोधन उपरान्त गणना (जारी मांग पत्र क्रमांक नियोजन/2024/1817 दिनांक 18.12.2024 में अंकित राशि) 4795.66 वर्गमीटर (10/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से) 47,957/- रूपये जरिये रसीद संख्या 70/1719 दिनांक 18.12.2024 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा योजना के आन्तरिक समस्त विकास कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुदा भूखण्ड {Resi. C-12 Size 40'-0" X 70'-0" Feet, C-13 Size 31'-3" X 70'-0" Feet, C-14 Size 31'-3" X 68'-0" Feet, D-7 Size 40'-0" X 68'-0" Feet, D-8 Size 50'-0" X 68'-0" Feet, Informal Size 40'-0" X 68'-0" Feet, Total 05 Resi. Plots & 01 Informal} न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार/विकासकर्ता स्काई हाईट रियलमार्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अंजनी कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी मकान नं. 06, तिलक नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.03.04 13:58:37 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

1. स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़कों का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, पोल एवं स्ट्रीट लाईटें, पार्क का विकास एवं निर्माण कार्य, पार्किंग की व्यवस्था, सड़कों किनारें होर्टिकल्चर/पौधारोपण इत्यादि मूलभूत सुविधायें कॉलोनाईर्स/खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होगें। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
2. शेष सभी विकास कार्य ऑवर हैड वाटर टैंक निर्माण, वर्षा जल निकासी हेतु नालियां, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यो के विरूद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी।
3. योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों अथवा रहन अन्तिम भूखण्ड को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगें। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगा/करेंगें।
4. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
5. आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क, जो मौके पर 40 फीट चौड़ी सड़क के रूप में संचालित है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार को यथावत कायम किये जाने हेतु मुरब्बा लाईन से दक्षिण दिशा की ओर अपने स्वामित्व की भूमि में से 40'-0" गुणा 108'-0" फीट सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।
6. आवेदित भूमि को पश्चिम दिशा में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.07.2023 के द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान (आनन्दम् हाईट्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री हेमंत सिंघल पुत्र श्री श्याम लाल सिंघल निवासी आरडी-8 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 04 के किला नं. 02 में 0.253 है. में से 0.1532 है., किला नं. 3 में 0.253 है. में से 0.2466 है., किला नं. 4/2 में 0.240 है. में से 0.0613 है., किला नं. 8 में 0.253 है. में से 0.2299 है., किला नं. 9 में 0.253 है. में से 0.1532 है., किला नं. 12 में में 0.253 है. में से 0.1532 है., किला नं. 13 में 0.253 है. में से 0.2299 है., किला नं. 18 में 0.253 है. में से 0.2299 है., किला नं. 19 में 0.253 है. में से 0.1532 है., किला नं. 22 में 0.253 है. में से 0.1532 है., किला नं. 23 में 0.253 है. में से 0.2299 है. यथाकुल 1.9935 हैक्टयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आवेदन संख्या LU2012/SGN/2023-24/100688 दिनांक 14.06.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 02.08.2023 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। आवेदित भूमि का ले आउट प्लान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.07.2023 द्वारा अनुमोदित योजना "श्री नाथ एन्कलेव सैक्टर-11" है।) की प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़कों से संबंधित खातेदार/विकासकर्ता से पहुँच मार्ग एवं आवागमन संयुक्त रूप से सहमति है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण हमारे स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें/करूंगा। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.03.04 13:58:37 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

7. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

8. योजना में स्वीकृत Informal Size 40'-0" X 68'-0" Feet (2720 Sq. Feet) एवं स्वीकृत इन्फोरमल भूखण्ड में भविष्य की आवश्यकतानुसार दुकानें प्रस्तावित की जाती है तो विभागीय आदेशानुसार आवंटन/बेचान/निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।

9. अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित की है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटि) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों एवं न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।

10. प्रस्तुत अण्डर टेंकिग के अनुसार {Resi. C-12 Size 40'-0" X 70'-0" Feet, C-13 Size 31'-3" X 70'-0" Feet, C-14 Size 31'-3" X 68'-0" Feet, D-7 Size 40'-0" X 68'-0" Feet, D-8 Size 50'-0" X 68'-0" Feet, Informal Size 40'-0" X 68'-0" Feet, Total 05 Resi. Plots & 01 Informal} नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रखे गये है।

11. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगी एवं योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।

12. योजना के आन्तरिक विकास कार्य टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 18 माह (निर्धारित समयावधि) में किये जाने अनिवार्य होगें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतन अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।

13. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।

14. टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगें।

15. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगें।

16. योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स् 2017 के तहत पंजीयन करवाया जावेगा एवं राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 की पालना विकासकर्ता/खातेदार द्वारा की जानी होगी।

17. योजना में निर्माण कार्य से संबंधित लैबर सैस शुल्क विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा। योजना के संबंध में किसी भी विभाग से कोई देयता बनती है तो देय राशि जमा करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक स्वयं का होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.03.04 13:58:37 IST
Reason: Approved

ATP SECTION/CERTIFICATE

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email : uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

उपरोक्त पेज संख्या 1, 2, 3, 4 अनुसार अंकित समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

(सहमती हस्ताक्षर प्रार्थी/खातेदार)
दिनांक :-

क्रमांक :- नियोजन/2024/
प्रतिलिपि :-

1. खातेदार/विकासकर्ता **स्काई हाईट रियलमार्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अंजनी कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी मकान नं. 06, तिलक नगर, श्रीगंगानगर (राज.)।**
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.03.04 03:58:37 IST
Reason: Approved

ATP SECTION/CERTIFICATE

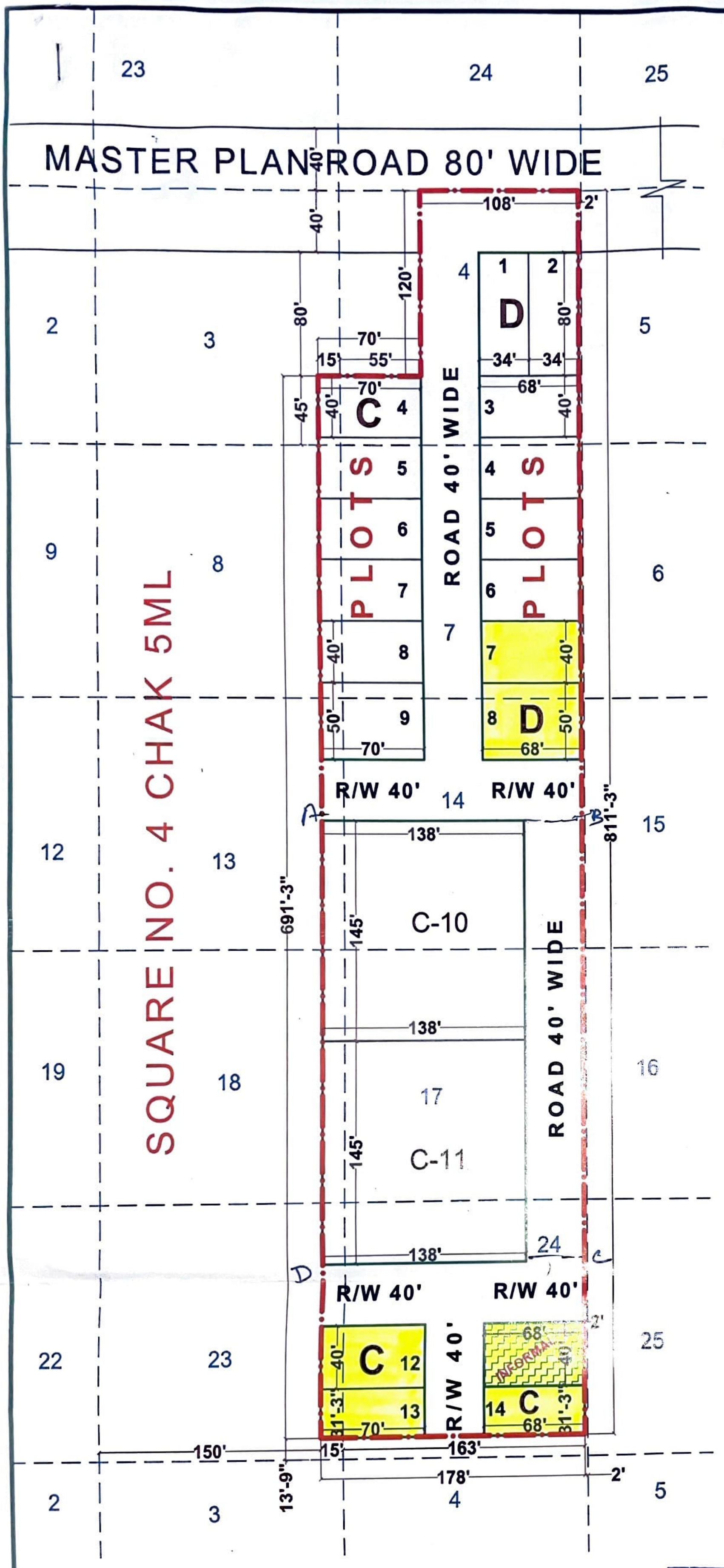

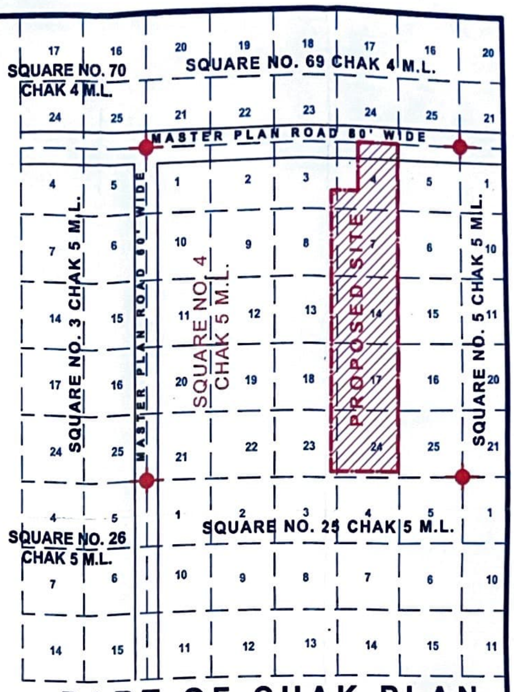

PART OF CHAK PLAN

REFERENCE :-

1. SCHEME AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. SCHEME AREA :- 136002.50 Sq.Ft. OR 1.2635 Hect.
5. SCALE 1" = 75'
6. OWNER :-

LAND USE ANALYSIS :-

TOTAL LAND 136002.500 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	87072.50 Sq.ft.	64.02 %
2	INFROMAL	2720.00 Sq.ft.	2.00 %
3	ROAD	46210.00 Sq.ft.	33.98 %
TOTAL		136002.500 Sq.ft.	100 %

न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 06/12/24 में साईट प्लान/ले आउट प्लान पत्रांक [illegible] दिनांक 13/12/2024 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

सचिव
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

LAYOUT - PLAN

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 3,4,7,8,13,14,17,18,23,24 (EACH PART)
SQUARE NO. 4 CHAK 5 M.L. AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR